तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहलकार हुक्म में
06/06/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। तहसीलदार बस्सी द्वारा जारिए क्रमांक/न्याय/2024/333 दिनांक 05/6/2024 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की जावे। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम पाल तहसील बस्सी मे आ.नं. 19, 21 किता 2 रकबा 0.85 हे० स्थित है। प्रार्थीगण की आराजीयात के पूर्वी दिशा मे विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 की कृषि आ.नं. 23 स्थित है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण द्वारा आ.नं. 19, 21, 23 एक ही व्यक्ति से क्रय की गई। प्रार्थीगण की आराजी विपक्षीगण की आ.नं. 23 के पश्चिमी दिशा मे यानि नीचे की तरफ स्थित होने से प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 19, 21 को क्रय करने के दिन से आज तक विपक्षीगण की आराजी नम्बर 23 की दक्षिणी मेड पर पश्चिम से पूर्व की तरफ गाडी गडारनुमा रास्ता का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है, अर्थात प्रार्थीगण अपने ग्राम पाल से आ.पा. नम्बर 27 तक आम रास्ता से होकर विपक्षीगण की आ.नं. 23 के दक्षिणी मेड से होकर प्रार्थीगण अपनी क्रय शुदा आ.नं. 21 व 19 पर आते जाते है। विपक्षीगण की आराजी नम्बर 23 के दक्षिणी ....लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

मेड के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम
12 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर स्थित
होकर प्रार्थीगण अपनी आराजीयात
पर उसी रास्ते से आते जाते है जो
संलग्न नजरी नक्शा में A to B मार्क
से दर्शाया गया है। नजरी नक्शा प्रार्थीगण
पत्र का अभिन्न अंग है। मार्क
A से B तक मौके पर रास्ता मौजूद है।
इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के
पास अपनी आराजीयात पर आने जाने
का और कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध
नहीं है परन्तु उक्त रास्ता रेकार्ड मे
दर्ज नही होने से विपक्षीगण ने जबरन
ताकत के बल पर अवैध रूप तथा
बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थीगण
को आर्थिक नुकसान पहुंचाने व परेशान
करने की नियत से रास्ता बन्द कर दिया।
विपक्षीगण को रास्ता खोलने के लिए
कहा तो विपक्षीगण लड़ाई-झगड़ा करने
पर आमदा हो गये, और धमकी देने
लगे कि राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज
नही है इसलिए हम तुम्हारे को यहां से
नही निकलने देंगे। प्रार्थीगण की
आराजीयात पर जाने के लिए उक्त रास्ते
के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता
नही है। आराजी नम्बर 19, 21 व 23
पूर्व मे एक ही चक था, जब उक्त
आराजीयात मे से आ.नं. 19 21 प्रार्थीगण
के पिता व्यास तथा आ.नं. 23 विपक्षीगण
.... लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

AnyScanner

के पिता द्वारा क्रय करने के पश्चात दो अलग-अलग भाग हो गए तथा प्रार्थिया व उनके पिता एवं विपक्षीगण व उनके पिता के मध्य रास्ते सम्बन्धित कोई बाधा उत्पन्न नही हुई परन्तु अब विपक्षीगण के मन में बदनियति आजाने से प्रार्थिया की आराजीयात पर आने-जाने वाले रास्ते को ताकत के बल पर बन्द कर देने से मार्क A to B के मध्य 12 फीट चौड़ा रास्ता कायम करवाया जाना आवश्यक है जिसके लिए प्रार्थिया डी एल सी दर से राशि भी विपक्षीगण को अदा करने हेतु तैयार है। अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पाल कन्हैयाल के ख.नं. 23 में से संलग्न नजरी नक्शे के मार्क A to B के अनुसार 12 फीट रास्ता प्रार्थिया की आराजी नम्बर 21 पर आने जाने के लिए किस्म रास्ता राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम अथवा किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें। रास्ते की कीमत नियमानुसार डी एल सी दर से प्रार्थिया - विपक्षीगण को अदा करने को तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। तहसीलदार बड़ली से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बड़ली द्वारा जरिए पत्रांक रीडर/व.फ. 220/21/2024/859 दिनांक

....लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

14/12/2022 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के जवाब के विरोध कथन का जवाब प्रस्तुत किया। तहसीलदार बस्सी से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अधिक लम्बा 272 मीटर है, जबकि प्रस्तावित रास्ता 216 मीटर लम्बा है, इसमें विपक्षीगण की कम भूमि का क्षय होगा। प्रस्तावित रास्ता ही लघुतम रास्ता है जो 4 मीटर चौड़ा होकर विपक्षीगण की आ. नं. 23 रकबा 0.56 हे. में से उत्तरी मेड पर 85×4= 340 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 242/116 रकबा 0.47 हे. की उत्तरी मेड पर 91×4=364 वर्गमीटर तथा आ. नं. 120 रकबा 0.22 हे. की उत्तरी मेड पर 40×4= 160 वर्गमीटर कुल 864 वर्गमीटर प्रतिवादीगण की भूमि क्षय होती है।

उक्त मौका रिपोर्ट बाबत विपक्षीगण द्वारा एतराज करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना जाकर न्याय हित में दिनांक 15/5/2024 को पुनः मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारान को लिखित सूचना देकर तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार बस्सी को निर्देशित किया गया।

......लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	[illegible]
	उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार ~~[illegible]~~ बस्सी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर जरिए क्रमांक / न्याय / 2024 / 333 दिनांक 05/06/2024 से प्रस्तुत की गई। प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आ. नं. 19, 21 कीता 2 रकबा 0.85 हे. भूमि पर जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता हेतु आ. नं. 23, 242/116, एवं 120 की उत्तरी मेड की तरफ 216 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा रास्ता ~~[illegible]~~ लघुतम है। इसमे प्रतिवादीगण की कम भूमि क्षय होती है। प्रार्थीगण की आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नही है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 23, 242/116, एवं 120 की उतरी मेड पर कुल 864 वर्गमीटर की डी एल सी दर से दो गुना राशि 146406.34 रुपए बनती है।	
	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया अधिवक्ता विपक्षीगण ने प्राप्त मौका रिपोर्ट पर पुन: एतराज कर, फिर से मौका रिपोर्ट तलब किए जाने का निवेदन किया। लेकिन चूंकि तहसीलदार बस्सी द्वारा दो बार रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई व दोनो ही बार रिपोर्ट मे अंकित किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही है एवं प्रस्तावित रास्ता ही सबसे लघुतम है प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अधिक लम्बा है।	
	.... लगातार	
	(मीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible] (राज.)	

जिसके लिए दो मौका रिपोर्ट तलब किया जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 14/12/2022 एवं दिनांक 05/06/2024 स्पष्ट एवं उचित प्रतीत होती है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय मौका रिपोर्ट दिनांक 14/12/2022 एवं दिनांक 05/6/2024 द्वारा तहसीलदार बस्सी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम पाल तहसील बस्सी स्थित आराजी संख्या 19 रकबा 0.12 है. आ.नं. 21 रकबा 0.73 कीता 2 कुल रकबा 0.85 है. पर आने-जाने हेतु ग्राम पाल की आराजी नम्बर 23 रकबा 0.56 मे से उत्तरी मेड़ पर 85x4 = 340 वर्गमीटर, आराजी नम्बर 242/116 रकबा 0.47 है. की उत्तरी मेड़ पर 91x4 = 364 वर्गमीटर तथा आराजी नम्बर 120 रकबा 0.22 है. मे से उत्तरी मेड़ पर 40x4 = 160 वर्गमीटर कुल 864 वर्गमीटर की डी.एल.सी दर से दो गुना राशि 146406.34 रुपए का भुगतान सम्बन्धित खातेदारान को भुगतान किए जाने पर आराजी नम्बर 23 रकबा 0.56 मे से 340 वर्गमीटर, आ.नं. 242/116 रकबा 0.47 है. मे से 364 वर्गमीटर तथा आ.नं. 120 रकबा 0.22 है. मे से 160 वर्गमीटर भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किए जाने की

......लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

AnyScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	स्वीकृति दी जाती है एवं उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि राशी 146406.34 रुपए का भुगतान सम्बन्धित खातेदारान के उनके निहित हक हिस्सेनुमा किए जाने हेतु खातेदारान के नाम के ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार बस्सी के मार्फत किए जाने हेतु प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित को भुगतान हेतु तहसीलदार बस्सी को भिजवाये जावे तथा मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है कि प्रमाणित प्रति निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर राजस्व अभिलेख में अमल हेतु तहसीलदार बस्सी को प्रेषित कर लिखा जावे कि सम्बन्धित खातेदारान को भुगतान किए जाने के पश्चात राजस्व रेकार्ड में प्रस्तावित भूमि रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड में तरमीम किया जावे। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)